न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 62/2025(GCMS 2025/316)
(RTI No. 212026089536064)

श्री गोपाल सोनी पुत्र श्री भंवर लाल सोनी निवासी गांव 7 केएनडी-ए, तहसील रावलाल, जिला श्रीगंगानगर मोबाईल नम्बर- 98282-39911

बनाम

उपखण्ड अधिकारी, घड़साना

09.09.2025

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री गोपाल सोनी स्वयं नहीं हुए। पत्रावली का अवलोकन किया, तो पाया कि अपीलार्थी ने उपखण्ड अधिकारी, घडसाना से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 27.06.2025 से सात बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि श्री गोपाल सोनी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 27.06.2025 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न सात बिन्दुओं की सूचना चाही थी :

1. मेरे द्वारा प्रस्तुत सीमाज्ञान आवेदन की प्राप्ति तिथि क्या है?
2. अब तक मेरी अर्जी पर क्या कार्यवाही की गई है?
3. किन अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्य सौंपा गया था और उनकी कार्यवाही की स्थिति क्या है?
4. सामान्यतः सीमाज्ञान प्रक्रिया में कितना समय लगता है?
5. मेरी अर्जी पर कार्यवाही न होने का कारण क्या है?
6. सीमाज्ञान प्रक्रिया हेतु नियमानुसार क्या शुल्क, समयसीमा व प्रक्रिय निर्धारित है।
7. संबंधित पटवारी/तहसीलदार द्वारा यदि कोई रिपोर्ट बनाई गई है, तो उसकी प्रति उपलब्ध करवाई जाए।

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, घड़साना ने अपने पत्रांक पीए/2025/808 दिनांक 19.08.2025 के साथ तहसीलदार घड़साना द्वारा अपीलार्थी को अपने पत्रांक आरटीआई/स.का.अ./2025/58 दिनांक 17.08.2025 से निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया है:

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.10.14 17:35:41 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

अपील सूचना का अधिकार संख्या 62/2025
(GCMS No. 2025/316)
(RTI No. : 212026089536064)

उपरोक्त विषयान्तर्गत आप द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के क्रम में आप द्वारा चाही गई सूचना निम्नानुसार है:

क्र. स.	चाही गई सूचना का विवरण	सूचना का विवरण
1	मेरे द्वारा प्रस्तुत सीमाज्ञान आवेदन की प्राप्ति तिथि क्या है?	सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है, जो निश्चित अभिलेखों में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नहीं होनी चाहिए। तृतीय पक्ष से सबंधित नहीं होने चाहिए एवं कार्यालय के कार्य संसाधनों को प्रभावित करने वाली अर्थात विस्तृत नहीं होनी चाहिए। सूचना के रूप मे प्रत्यर्थी न तो कोई सूचना बना सकते है और ना ह ीवे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नहीं है।
2	अब तक मेरी अर्जी पर क्या कार्यवाही की गई है?	
3	किन अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्य सौंपा गया था और उनकी कार्यवाही की स्थिति क्या है?	
4	सामान्यतः सीमाज्ञान प्रक्रिया में कितना समय लगता है?	
5	मेरी अर्जी पर कार्यवाही न होने का कारण क्या है?	
6	सीमाज्ञान प्रक्रिया हेतु नियमानुसार क्या शुल्क, समयसीमा व प्रक्रिय निर्धारित है।	
7	संबंधित पटवारी/तहसीलदार द्वारा यदि कोई रिपोर्ट बनाई गई है, तो उसकी प्रति उपलब्ध करवाई जाए।	पटवारी द्वारा फर्म मौका बनाया गया, जिसकी प्रतिलिपि संलग्न है।

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, रावला ने अपने पत्रांक अपीलार्थी को उक्तानुसार जवाब दिया है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की **पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है, जो निश्चित अभिलेखों में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए।** सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। **लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप**

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.10.14 17:45:43 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। **इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते।** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त ''सूचना'' का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है।** इसलिए **तहसीलदार (राजस्व), रावला** द्वारा अपीलार्थी को जो जवाब दिया है, वह सही है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती हैं किन्तु अपीलार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र दिनांक 27.06.2025 से सूचना चाही गई थी, जिसकी सूचना आप द्वारा दिनांक 14.08.2025 को उपलब्ध करवाई गई है, जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थी को 30 दिवस में सूचना उपलब्ध करवाने का प्रावधान है। **अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना समय पर उपलब्ध न करवाना, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रति आपकी असंवेदनशीलता, उदासीनता एवं लापरवाही को दर्शाता है। भविष्य में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थी को समय पर सूचना उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।**

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति **लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, घड़साना एवं तहसीलदार, रावला** को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। **पत्रावली** बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 09.09.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Manju (डॉ. मन्जू)
Date: 2025.10.14 17:35:41 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर